

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर/शिवहर/बेगुसराय।

पटना, दिनांक :- 23.1.17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वासि-
मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी.
2230011120101) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5233 के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.5.16 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वासि कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है।

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01) से राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से NHRC, नई दिल्ली के वाद सं.-1362/30/2006-07 से संबंधित सभी विमुक्त सामान्य श्रेणी के 10 बंधुआ मजदूरों के लिए	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21 01) इकाई से ₹. 1500/- 30 दिन के राशन एवं ₹. 500/- भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर की दर से NHRC, नई दिल्ली के वाद सं.-1362/30/2006-07 से संबंधित सभी विमुक्त सामान्य श्रेणी के 10 बंधुआ मजदूरों के लिए	कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4)
1	2	3	4	5
सीतामढ़ी	03	30000	6000	36000
पूर्णियाँ	04	40000	8000	48000
मुजफ्फरपुर	01	10000	2000	12000
शिवहर	01	10000	2000	12000
बेगुसराय	01	10000	2000	12000
	10	100000	20000	120000

कुल आवंटित राशि ₹ 1,20,000/- (₹ एक लाख बीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.3.16, पत्रांक- 4572/वि. दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

23/1/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

141

पटना, दिनांक

23.1.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

23/1/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0

141

पटना, दिनांक

23.1.17

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ *संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.-20(श्रमपक्ष) दिनांक-18.01.17 के आलोक में/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

23/1/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त,बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

141

पटना, दिनांक

23.1.17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/1/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।